

दिल्ली विकास प्राधिकरण
खेल शाखा : समन्वयक कक्ष
सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-११० ०४९

डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिणी में कराटे में कोचिंग आयोजित करने के लिए प्रस्ताव
आमंत्रित (एनआईपी) सूचना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराटे में कोचिंग आयोजित करने के लिए पेशेवर खेल प्रशिक्षकों / एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिसके लिए राजस्व बंटवारे के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध हैं।

कोचों/कोचिंग एजेंसियों से अनुरोध किया जाता है कि वे विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिसमें कोचों की प्रोफाइल, प्रस्तावित दरें, समय, कोचिंग सहायता और उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित तकनीक शामिल हैं। वार्षिक ठेके तकनीकी और वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद दिए जाएंगे। कोचिंग अनुबंध सालाना अधिकतम पांच साल के कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

तकनीकी बोलियां अनुबंध-I और II के अनुसार और वित्तीय बोली अनुबंध-III के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी और वित्तीय बोलियां दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिन पर क्रमशः "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कोच/एजेंसी के नाम का उल्लेख हो। इन दोनों सीलबंद लिफाफों को एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिस पर लिखा होना चाहिए " रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिणी में कराटे में कोचिंग के लिए बोलियां। विस्तृत प्रस्ताव (अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) सचिव (समन्वयक), स्पोर्ट्स विंग, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110049 को 20.01.2022 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

विस्तृत पात्रता मानदंड, नियम और शर्तें, चयन का तरीका आदि के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in / www.dda.gov.in ("सार्वजनिक सूचना" और "निविदाएं" वेब पेजों में) देखें। विवरण डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिणी से भी प्राप्त किया जा सकता है।

आयुक्त (खेल)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
खेल शाखा : समन्वय। कक्ष
सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-११० ०४९

विषय: डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिणी में कराटे में कोचिंग आयोजित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित (एनआईपी) नोटिस।

पृष्ठभूमि:

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) दिल्ली में डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिणी में कराटे में कोचिंग आयोजित करने के लिए पेशेवर खेल प्रशिक्षकों / एजेंसियों से राजस्व बंटवारे के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है।
2. वर्तमान में 3200 सदस्य आश्रितों को छोड़कर आरएससी, रोहिणी में खेल सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। आरएससी, रोहिणी में पहले से ही विभिन्न खेलों के लिए कोचिंग योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लगभग 1000 से 1500 व्यक्ति प्रतिदिन परिसर का दौरा कर रहे हैं।
3. सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों को भी कराटे कोचिंग प्रदान की जाएगी। डीडीए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के साथ-साथ सुविधाओं का रखरखाव भी करता है जबकि पेशेवर कोच/कोचिंग एजेंसियां कोचिंग प्रदान करती हैं।

नियम और शर्तें:

4. राजस्व बंटवारे के आधार पर कोचिंग प्रदान की जाती है। कोच/एजेंसी और डीडीए के बीच कोचिंग शुल्क का हिस्सा क्रमशः 60:40 होगा।
5. खेल में क्षमता रखने वाले **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** के कम से कम 10% प्रशिक्षुओं को कोच/कोचिंग एजेंसियों द्वारा मुफ्त कोचिंग प्रदान की जानी है। जहां प्रशिक्षकों/एजेंसियों ने न्यूनतम संख्या में प्रशिक्षुओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान नहीं की है, वहां कोचिंग अनुबंधों का विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि प्रबंधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 10% से अधिक कोचिंग प्रदान करना उचित समझता है, तो प्रबंधन अनिवार्य से अधिक ईडब्ल्यूएस प्रशिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के लिए कोचिंग शुल्क के अपने हिस्से का भुगतान करेगा। 10%।
6. सप्ताह के दिन और कोचिंग देने का समय प्रबंधन द्वारा आवश्यकता और सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार तय किया जाएगा।
7. पेशेवर प्रशिक्षकों/कोचिंग एजेंसियों को वरीयता क्रम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वरीयता को दर्शाते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए। प्रस्तावों में कोचों/सहायक कोचों का विवरण होना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करने में शामिल होंगे, साथ ही कोच और/या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उनकी योग्यता, अनुभव और उपलब्धि के साथ। कोचिंग में मान्यता और प्रशिक्षुओं की उपलब्धि के लिए पुरस्कारों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वप्रमाणित होंगे। आवेदनों के साथ संलग्न कोचों का बायोडाटा और प्रमाण पत्र कोचों और सहायक कोचों द्वारा स्व-सत्यापित किया जाएगा।

9. मुख्य कोच, कोच और सहायक कोच, जिनका नाम एजेंसी/आवेदक ने एनआईपी के लिए बोली लगाते समय प्रस्ताव में शामिल किया है, को यह बताते हुए एक पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वे उपलब्ध हैं और एजेंसी के लिए कोच के रूप में काम करने के इच्छुक हैं, यदि एजेंसी को कोचिंग अनुबंध से सम्मानित किया जाता है। कोच/एजेंसी एनआईपी के लिए बोली लगाते समय कोचिंग प्रस्ताव में प्रस्तुत मुख्य कोच, कोच और सहायक कोचों को नहीं बदल सकते। सहायक स्टाफ में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए परिसर के सचिव से अनुमोदन लेना होता है। सहायक स्टाफ को ऐसे कर्मचारियों से बदला जाएगा जिनके पास मूल्यांकन किए गए प्रारंभिक प्रस्ताव में उल्लिखित सहायक स्टाफ की समान योग्यताएं और अनुभव हों। अनुपालन न करने पर कोचिंग ठेका समाप्त कर दिया जाएगा।

10. किसी भी विषय में किसी भी कोच/कोचिंग एजेंसी को अधिकतम दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे।

11. व्यस्त समय के दौरान खेल परिसरों में खेल सुविधाएं, यानी सुबह 6.00 बजे से सुबह 8 बजे और शाम 6.00 बजे से रात 8 बजे तक आमतौर पर कोचिंग के लिए उपलब्ध नहीं होगा और इन समय के दौरान सुविधाओं का उपयोग विशेष रूप से सदस्यों के लिए होगा। तथापि, यदि कोई अतिरिक्त क्षमता है, जैसा कि परिसर के सचिव द्वारा मूल्यांकन किया गया है, तो इन घंटों के दौरान भी, शर्तों के अधीन, कोचिंग की अनुमति दी जा सकती है।

12. खेल परिसर में, आमतौर पर एक विशेष स्तर की कोचिंग के लिए केवल एक कोचिंग अनुबंध दिया जाएगा। हालांकि, कोचिंग के विभिन्न स्तरों के लिए, अर्थात्, एक ही विषय में बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, कॉम्प्लेक्स में अलग-अलग कोच/एजेंसियां हो सकती हैं। तथापि, आवश्यकता एवं सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर किसी खेल परिसर में किसी भी स्तर की कोचिंग में एक से अधिक कोचिंग अनुबंध भी दिए जा सकते हैं।

13. सभी खेल परिसरों में सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए कोचिंग दरों में अंतर गैर-सदस्यों के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क पर एक समान होगा।

14. सदस्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित मासिक शुल्क को प्रस्ताव की वित्तीय बोली में अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। गैर-सदस्यों के लिए शुल्क सदस्यों द्वारा देय शुल्क से 25% अधिक होगा। कोचिंग फीस पर जीएसटी लागू होगा। सदस्यों से लिया जाने वाला प्रस्तावित मासिक शुल्क अनुबंध -III में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, मासिक कोचिंग शुल्क के अलावा, कोचों/एजेंसियों को कोई वापसी योग्य/अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। कोचिंग शुल्क संबंधित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारा एकत्र किया जाएगा और कोच/एजेंसी का हिस्सा अगले महीने के 7 वें दिन या उससे पहले कॉम्प्लेक्स द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा प्रेषित किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों से एक बार में केवल एक माह पूर्व ही कोचिंग शुल्क लिया जाएगा।

15. किसी विशेष विषय में समान स्तर की कोचिंग की दरें परिसर के स्थान और सदस्यता प्रोफाइल के अनुसार परिसरों के बीच तुलनीय होनी चाहिए।

16. प्रशिक्षकों/एजेंसियों को अपने प्रस्ताव में अतिरिक्त इनपुट, प्रशिक्षण सहायता और खेल उपकरण की लागत का विवरण स्पष्ट रूप से बताना होगा जो वे अनुरोध पर प्रशिक्षुओं को प्रदान करना चाहते हैं। इन निविष्टियों, उपकरणों आदि के लिए विनिर्देशों और दरों को परिसर के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होगा और इसे खेल परिसर के नोटिस बोर्ड के साथ-साथ कोचिंग अनुबंध में भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें उल्लिखित मदों के अलावा भुगतान के आधार पर प्रशिक्षुओं को कोई अन्य वस्तु प्रदान नहीं की जा

सकती है। अनुमोदित मदों की दरों में किसी भी परिवर्तन के लिए कोचों/एजेंसियों द्वारा प्रबंधन की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इन अनुमोदित मदों के लिए भुगतान सीधे कोच/एजेंसियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इनसे राजस्व का कोई हिस्सा डीडीए को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कोई विचलन अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और कोचिंग अनुबंधों के विस्तार के लिए समीक्षा के समय विचार किया जाएगा।

17. प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हुई किसी भी चोट, जीवन की हानि आदि के लिए कोच/एजेंसियां डीडीए की क्षतिपूर्ति करेंगी।

18. डीडीए द्वारा अनुमोदित किसी भी घटना में प्रशिक्षुओं की भागीदारी के लिए कोच/एजेंसियां पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।

19. कोचों/अकादमियों को अपनी अकादमियों का नामकरण/ब्रांडिंग करते समय डीडीए का नाम शामिल करने की अनुमति होगी।

20. कोचिंग के लिए क्लबों से कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी भी चोट, जीवन की हानि आदि के लिए कोचिंग के नियमों और शर्तों के विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा और डीडीए की क्षतिपूर्ति भी करनी होगी।

प्रस्तावों का मूल्यांकन:

22. मूल्यांकन पूरी तरह से सहायक दस्तावेजों के आधार पर होगा और योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों के सभी बयानों को तभी चिह्नित किया जाएगा जब ये दस्तावेज प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

23. एक समिति कोचिंग के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन योग्यता, कोचों और सहायक कोचों के अनुभव, एक खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियों, एक कोच के रूप में उपलब्धियों, कोचिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण किट, प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रस्तावित कार्यप्रणाली और प्रशिक्षुओं की प्रगति की निगरानी के आधार पर किया जाएगा। आदि तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कुल 80 अंकों के लिए होगा। केवल उन्हीं कोचों/एजेंसियों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो अपनी तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में 80 में से न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करेंगे। वित्तीय बोलियों के लिए 20 अंकों का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा: -

$$\frac{\text{एल} \times 20}{\text{भाव}}$$

भाव

जहां 'एल' कोच/एजेंसी द्वारा जमा की गई सबसे कम कोचिंग फीस है, जिसकी वित्तीय बोली खोली गई है और 'रेट' कोच/एजेंसी द्वारा जमा की गई कोचिंग फीस है, जिसकी वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है। वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन का उदाहरण इस प्रकार है:-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोचिंग दर	वित्तीय बोली के लिए कुल २० में से अंक
रु. 1000 प्रति माह (न्यूनतम वित्तीय बोली)	20

रु. 1500 प्रति माह	13
रु. 2000 प्रति माह	10
रु. 2500 प्रति माह	8
रु. 3000 प्रति माह	6

24. तकनीकी और वित्तीय बोलियों से उच्चतम संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले कोच/एजेंसी को कोचिंग प्रदान की जाएगी। यदि एजेंसियां/कोच समान अंक प्राप्त करते हैं, तो तकनीकी बोली में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली एजेंसी को कोचिंग प्रदान की जाएगी।

अन्य नियम और शर्तें:

25. कोचिंग एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध पर प्रदान की जाएगी, जिसे सालाना अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, असंतोषजनक प्रदर्शन या अनुबंध के नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के मामले में कोचिंग अनुबंध को पांच साल की कुल अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है।

26. प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात का उल्लेख किया जाए। सभी प्रस्तावों में पासपोर्ट आकार के फोटो, पहचान प्रमाण, फोन नंबर, सेल फोन नंबर और आवासीय पते के साथ सभी कोचों, सहायक कोचों और सहायक कर्मचारियों की विस्तृत प्रोफाइल होनी चाहिए। जिन संस्थानों में वे वर्तमान में कोचिंग दे रहे हैं या पूर्व में कोचिंग दे चुके हैं, उनके कोचों/एजेंसियों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

27. अनुबंधों के विस्तार पर सालाना पांच साल की अधिकतम अवधि के अधीन विचार किया जाएगा। मूल्यांकन प्रशिक्षुओं, माता-पिता/अभिभावकों से प्राप्त फीडबैक, प्रशिक्षण के दौरान कोचों की उपलब्धता, प्रशिक्षुओं की उपलब्धि, प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात, राजस्व उत्पन्न, प्रशिक्षण सहायता, उपकरण और उपयोग की गई प्रौद्योगिकी और अनुपालन के आधार पर किया जाएगा। खेल परिसर के नियम और कानून।

28. नियमित कोचिंग के अलावा, विशेष रूप से गर्मी की छुट्टियों के दौरान छात्रों के लिए विशेष कोचिंग शिविर भी पूर्व अनुमोदन के अधीन आयोजित किए जा सकते हैं।

29. कोचिंग के लिए डीडीए द्वारा आवंटित बुनियादी ढांचे का उपयोग केवल कोचिंग के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसमें किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

30. यदि प्रशिक्षण उपकरण के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता है, तो इसे प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि, यह डीडीए के विवेक पर प्रदान किया जाएगा, यदि ऐसा भंडारण स्थान उपलब्ध है, तो पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर।

31. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे खेल परिसर में उस सुविधा का दौरा करें जिसके लिए वे कोचिंग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले क्षमता का मूल्यांकन करें। इस संबंध में बाद में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

32. बोली पृष्ठ क्रमांकित होनी चाहिए और प्रस्ताव में निहित पृष्ठों की कुल संख्या को कवरिंग पत्र में दर्शाया जाना चाहिए। यदि कोई संलग्नक संलग्न नहीं पाया जाता है तो डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा।

33. यदि कोच या कोई सहायक कोच या सहायक कर्मचारी वर्तमान में किसी सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में काम कर रहे हैं, तो भुगतान किए गए कोचिंग आयोजित करने के लिए संबंधित संगठन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) होना आवश्यक है। प्रस्तुत। यदि एनओसी जमा नहीं किया जाता है और बाद में यह पता चलता है कि उस व्यक्ति ने अनधिकृत भुगतान कोचिंग का संचालन किया है, तो कोचिंग अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

34. जीएसटी पंजीकरण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि कोच/एजेंसी की वार्षिक आय रुपये से कम है। 20 लाख, तो कोच/एजेंसी जीएसटी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, जब और जब कारोबार रुपये से अधिक हो जाता है। 20 लाख, जीएसटी पंजीकरण तुरंत प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में एक अंडरटेकिंग कोच/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

35. क्या कोच व्यक्तिगत रूप से कोचिंग देगा और यदि हां, तो महीने में कितने दिन वह व्यक्तिगत रूप से कोचिंग के लिए उपस्थित होगा। तकनीकी मूल्यांकन इस पर विचार करेगा और कोचिंग के वार्षिक विस्तार पर भी विचार किया जाएगा कि क्या यह प्रस्ताव में किए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार पूरा किया जा रहा है।

36. तकनीकी बोलियां अनुबंध-I और II के अनुसार और वित्तीय बोली अनुबंध -III के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी और वित्तीय बोलियां दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिन पर क्रमशः "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कोच/एजेंसी के नाम का उल्लेख हो। इन दोनों सीलबंद लिफाफे को एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिस पर "रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिणी में कराटे के लिए कोचिंग के लिए बोली" लिखा होना चाहिए।

37. उपरोक्त सभी पहलुओं सहित विस्तृत प्रस्ताव कार्यालय सचिव (समन्वय), स्पोर्ट्स विंग, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110049 में **20.01.2022** तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अधूरे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो डीडीए द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

आयुक्त (खेल)

तकनीकी बोली

कोचिंग के लिए प्रस्ताव का विवरण

क्रमांक	विवरण	विवरण
1	नाम।	
2	पंजीकृत पता।	
3	मालिक/ निदेशक /प्रशासनिक प्रमुख/ कोच का नाम।	
4	स्वामित्व का प्रकार।	मालिकाना/साझेदारी/कंपनी/एलएलपी
5	उपरोक्त के समर्थन का सबूत।	समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें और यहां संलग्न दस्तावेजों की सूची बनाएं।
6	खेल	यहाँ केवल एक खेल की सूची बनाएं। यदि एक से अधिक खेलों की मांग की जाती है तो अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
7	पेशकश की जाने वाली कोचिंग का स्तर / प्रकृति।	सूची स्तर और यदि एक से अधिक स्तरों की पेशकश की जाती है तो विभेदीकरण को बढ़ाया जाना है।
8	कोचिंग के दिनों /सप्ताह और प्रस्तावित कोचिंग के समय की संख्या।	
9	पिछला कोचिंग अनुभव।	समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें और यहां संलग्न दस्तावेजों की सूची बढ़ाएं।
10	कोचिंग प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों/ सहायक प्रशिक्षकों/ सहायक कर्मचारियों के नाम।	यदि आवश्यक हो तो अनुलग्नक संलग्न करें और उसे यहां सूचीबद्ध करें।
11	मुख्य कोच की योग्यता।	
12	सहायक प्रशिक्षकों की योग्यता।	
13	आवश्यक नेट /अवसर चना की संख्या।	अदालतों/मैदानों, उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित अवधि और प्रस्तावित समय के संदर्भ में आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।
14	प्रशिक्षक /प्रशिक्षु अनुपात प्रस्तावित।	
15	प्रशिक्षण सहायता /उपकरण प्रदान किए जाने हैं।	

स्थान:

आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का पूरा नाम और हस्ताक्षर
स्थापना की मुहर के साथ (एजेंसी के मामले में)

पता:

ईमेल:

सेलफोन/लैंडलाइन नंबर

तकनीकी बोली

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची।

क्रमांक	दस्तावेज जमा करने होंगे।	प्रस्तुत	टिप्पणियां
1	फर्मों के पंजीकरण की प्रति (एजेंसी के मामले में)।		दस्तावेज जोलागू हो या जोराज्य उपलब्ध न हो या लागू हो, संलग्न करें।
2	ई पी एफ के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)।		दस्तावेज जोलागू हो या जोराज्य उपलब्ध न हो या लागू हो, संलग्न करें।
3	ई एस आई के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)।		दस्तावेज जोलागू हो या जोराज्य उपलब्ध न हो या लागू हो, संलग्न करें।
4	लेबर लाइसेंस की कॉपी (एजेंसी के मामले में)।		दस्तावेज जोलागू हो या जोराज्य उपलब्ध न हो या लागू हो, संलग्न करें।
5	पिछले 2 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति।		दस्तावेज जोलागू हो या जोराज्य उपलब्ध न हो या लागू हो, संलग्न करें।
6	जी एस टी पंजीकरण की प्रति।		दस्तावेज जोलागू हो या जोराज्य उपलब्ध न हो या लागू हो, संलग्न करें।
7	पैन / टिन कार्ड की प्रति।		दस्तावेज जोलागू हो या जोराज्य उपलब्ध न हो या लागू हो, संलग्न करें।
8	दिनांक के साथ ग्राहकों की सूची।		
9	अनुभव का प्रमाण।		
10	चार्टर्ड एकाउंटेंट से पिछले 2 वर्षों का लेखा परीक्षित विवरण।		दस्तावेज जोलागू हो या जोराज्य उपलब्ध न हो या लागू हो, संलग्न करें।

स्थान:

आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और हस्ताक्षर
स्थापना की मुहर के साथ (एजेंसी के मामले में)

पता:

ईमेल:

सेलफोन/लैंडलाइन नंबर

वित्तीय बोली

1.	कोच/ अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का पूरा नाम और एजेंसी का नाम।	
2.	पता, सेलफोननंबर, ई-मेल आई डी	
3.	खेल अनुशासन जिसमें कोचिंग संचालित करने का प्रस्ताव है।	
4.	खेल परिसरों के नाम जहां कोचिंग आयोजित करने का प्रस्ताव है।	
5.	प्रस्तावित कोचिंग के लिए प्रति सप्ताह दिनों की संख्या और समय (कॉम्प्लेक्स के परामर्श से तय किया जाना है)।	
6.	सदस्यों के लिए मासिक कोचिंग शुल्क (गैर-सदस्यों के लिए 25% अतिरिक्त कोचिंग शुल्क)। (प्रस्तावित कोचिंग शुल्क का उल्लेख अंकों और शब्दों दोनों में किया जाना चाहिए) यदि विसंगति है, तो शब्दों में उद्धृतदर पर विचार किया जाएगा।	

तकनीकी बोलियों के आकलन के लिए मूल्यांकन मानदंड (80 अंक): कराटे

कोच/ सहायककोच /सहायक स्टाफ का नाम

जो व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करेगा :

क्र मां क	मानदंड	कुल मार्क	महत्व	अंकप्रदा नकिएग ए	टिप्प णियां
1	कोच की तकनीकी योग्यता (एन आई एस योग्य / फेडरेशन द्वारा अनुमोदित प्रमाणन / अंतर्राष्ट्रीयडिग्री / कोचिंग में प्रमाणन)।	15	एन आई एस डिग्री / प्रमाणन।	05	
			अंतरराष्ट्रीय डिग्री /प्रमाणन।	05	
			खेल/ खेलविज्ञान में अतिरिक्त डिग्री/ प्रमाणन।	05	
2	वर्षों में कोचिंग का अनुभव।	15	5 साल तक।	05	
			5 से 10 साल।	05	
			10 साल से ऊपर।	05	
3	एक खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियां।	10	खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शीर्ष 3 रैंकिंग।	04	
			खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता।	04	
			अर्जुन /राजीव खेल रत्न पुरस्कार या खेल में इसी तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार /अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई चैंपियन।	02	
4	एक कोच के रूप में उपलब्धियां।	15	प्रशिक्षु – खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता।	05	
			प्रशिक्षु – खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता।	05	
			एकाधिक प्रशिक्षु – खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता।	05	

5	सहायक प्रशिक्षकों और अन्यसहायक कर्मचारियों की तकनीकी योग्यताएं, अनुभवऔरउपलब्धियां।	15	सहायक प्रशिक्षकों की तकनीकी योग्यता।	05		
			सहायक प्रशिक्षकोंका अनुभव।	05		
			अन्य सहायक स्टाफ /सहायक कोचों की तकनीकी योग्यता और अनुभव।	05		
6	कोचिंग में उपयोग के लिए प्रस्तावित तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण सहायता और प्रशिक्षण देने की प्रस्तावित कार्यप्रणाली और प्रशिक्षुओं की प्रगति की निगरानी।	10	तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण सहायता।	05		
			प्रशिक्षण और निगरानी प्रगति के लिए पद्धति।	05		
7	कुल मार्क।	80				